भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3178
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति

3178. **श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन गांवों जिन्होंने सफलतापूर्वक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां (वीएलसीपीसी) स्थापित की हैं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विशेष रूप से तेलंगाना का विवरण क्या है;
(ख) सभी गांवों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों (वीएलसीपीसी) द्वारा शुरू किए गए सफल जागरूकता अभियानों का राज्य और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बाल विवाह, तस्करी और स्कूल छोड़ने के मामलों को कम करने पर वीएलसीपीसी द्वारा कार्यान्वित बाल संरक्षण पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार के पास वीएलसीपीसी और ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समितियों (बीएलसीपीसी) के गठन के बाद से बाल संरक्षण परिणामों में सुधार के संबंध में आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं दोनों शामिल हैं। यह योजना देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों(सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों(सीसीएल) को उनके पुनर्वास तथा समाज की मुख्यधारा में सामाजिक पुन: समावेशन के लिए सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य कार्यों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य का उद्देश्य देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से सुदृढ़ तंत्र की परिकल्पना करना है। इन स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों तक पहुंचें, समुदायों के साथ जुड़ें तथा उन्हें अपने क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

मिशन वात्सल्य में बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों का कार्य पंचायती राज संस्थान/ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय की मौजूदा समितियों को सौंपने की भी परिकल्पना की गई है जो सामाजिक न्याय/बाल कल्याण के मुद्दों का निपटान करती हैं।

उन गांवों जिन्होंने सफलतापूर्वक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां (वीएलसीपीसी) स्थापित की हैं का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, बाल विवाह, दुर्व्यापार और स्कूल छोड़ने के मामलों को कम करने पर वीएलसीपीसी द्वारा कार्यान्वित बाल संरक्षण पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु मिशन वात्सल्य योजना के तहत कोई आकलन नहीं किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 के तहत बाल कल्याण समितियों को बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार है। जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 109) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्रमशः राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान करता है।

*****